to-morrow. I shall now take up Private Members' Business.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY SPEAKER : Do not record anything. *(Interruptions)*.

15.32 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Seventy-fifth Report

SHRI KAZI JALIL ABBASI (Domariaganj) : Sir, I beg to move :

"That this House do agree with the Seventy-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th April, 1884."

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Seventy-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 18th April, 1984."

(The motion was adopted)

15.33 hrs.

WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTIONS 2 AND 3)

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955."

(The motion was adopted)

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

15.35 hrs.

RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES) BILL—(Contd).

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we shall take up further consideration of the motion moved by Shri Suraj Bhan. Mr. Sunder Singh was on his legs. Mr. Sunder Singh, you had already taken 7 minutes. You may take another 5-6 minutes.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष जी, यह बिल बहुत शानदार है। इसमें कोई शक नहीं कि हर पहलू में हरिजनों को उनके रिजर्व कोटे के हिसाब से नहीं रखा जाता है। जो उन्होंने फिगर्स बताये हैं जहां 50 आदमी लेने हैं वहां 2 ही लिये जाते हैं और कोई हरिजनों का ख्याल नहीं रखता है। महात्मा गांधी हरिजनों के लिए अच्छा सोचते थे, मगर जो उनके फौलोवर्स हैं वह कैसे उनका मुकाबला

*Not recorded.

कर सकते हैं। यह बड़ी मुश्किल बात है। एक शायर इकबाल ने कहा है :

"शूद्र के लिये हिन्दुस्तान गमखाना है, और
इस बस्ती का दिल दर्द इन्सान से बेगाना है।"

जहां तक गरीबों का ताल्लुक है अगर किसी के दिल में दर्द हो तब तो ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं। "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" यह भी इकबाल ने कहा था। जहां लोगों के दिल में कोई दर्द नहीं है। अगर दर्द हो तो देश में से गरीबी दूर हो सकती है। लोगों को गरीबों की मदद करने में बड़ी मुश्किल होती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि वह ऐसा हिन्दुस्तान चाहते हैं कि जहां गरीब महसूस करे कि यह उनका कन्ट्री है। ऐसा हिन्दुस्तान चाहिये जहां कोई कम्युनल राइट न हो, न कोई ऊंचा हो, न कोई नीचा हो। मगर हालात यह हैं कि यहां हर एक आदमी अपना-अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। कोई कहता है हाय चंडीगढ़, कोई कहता है हाय अबोहर। मगर हरिजन क्या कहता है ? हाय रोटी। इनको कब्जे की पड़ी हुई है। गरीबों को तो पता ही नहीं कि कब्जा क्या चीज है। हिन्दुस्तान वाकई हरिजनों का है। जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन्होंने कब्जा जमा रखा है। हमारा हिन्दुस्तान है, हमारी नेशनेलिटी है। जो दर्द हरिजनों को हिन्दुस्तान के लिए है वह किसी को नहीं हो सकता। क्यों ? लोग आपस में लड़ रहे हैं और कब्जे के लिये लड़ते हैं। मन्दिरों, गुरुद्वारों में जाते हैं पता नहीं वहां क्या सीखते हैं। एक-दूसरे से लड़ाई कब्जे के लिये। जो आदमी कब्जा जमाता है :

He is going down. All expansion is life. All contraction is death. All love is expansion. All self interest is contraction. Love is, therefore, the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying. Therefore, love for lives sake, because it is the law of life.

हिन्दुस्तान में जो हरिजन हैं वह महात्मा गांधी के फौलोवर्स हैं। सबसे कम लेते हैं और सोसाइटी को सबसे ज्यादा देते हैं। ऐसे ही आदमी इस मुल्क के रूलर होंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिये कोई जरूरत नहीं है परमात्मा का डंडा अपने आप चल रहा है, आपस में लड़-लड़ कर मर रहे हैं और आखिर में हरिजनों का राज होगा।

He will become the ruler. (*Interruptions*) Let the evil take its natural course.

नौकरियां, मिनिस्ट्रीज और जमीन सब अमीर लोगों के लिये हैं और सारी बदमाशियां भी इनके लिये ही हैं। ये सारी चीजें करते हैं और फिर मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं। मंदिर गुरुद्वारों के खिलाफ महात्मा गांधी थे। वहां ईवल प्रैक्टिस होती है, वहां बुरी हालत है इसलिये मैं मंदिरों में नहीं जाता हूं। पता नहीं यह सोसाइटी क्या करेगी और हिन्दुस्तान का क्या बनेगा ?

हिन्दुस्तान हरिजनों का है। सूरजभान जी, आपको हिन्दुस्तान का मालिक बनना है। यहां हमारी जगह है, दूसरे बाहर से आये हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ये आपस में लड़कर मर जायेंगे, खत्म हो जायेंगे। ये कब्जा जमाना चाहते हैं। हम असली हिन्दुस्तान के मालिक हैं। जो नेशनैलिटी हम में है, वह दूसरों में हो नहीं सकती। वह कामयाब हो सकता है जो सोसाइटी से कम लेकर गुजारा करे, जो सोसाइटी को खा ही जायेगा, वह कुछ काम नहीं कर सकेगा। वह नीचे चला जायेगा। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द, गुरु नानक सबका यही उसूल है, पर वे उसूल पर चलते नहीं हैं। परमात्मा के बारे में कहा गया है—

राम किसी को मारे नहीं, ना हत्यारा राम।
अपने आप मर जायेंगे, कर-कर खोटे काम॥

जाट कब्जा जमाना चाहते है, ये कबरिस्तान बनता जायेगा। हिन्दू पैसे के पुत्र हैं। सिवाय पैसे के और इन्हें कुछ काम नहीं है। जहां लड़ाई हुई नहीं, ये दौड़े नहीं।

ये हमारे साथी बड़े अच्छे आदमी हैं, गवर्नमेंट की बड़ी मदद करते हैं। ये समझते हैं जैसे गवर्नमेंट इनके बगैर चलती नहीं। कल ये बड़ा निकम्मा बोले। ऐसे बोले कि गवर्नमेंट डूबने लगी है और ये ही बचायेंगे। अगर गवर्नमेंट का दोस्त ऐसा हो तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है।

अच्छी बात को सुनना चाहिये। अपोजिशन अच्छा बोलती है। गवर्नमेंट को उसे सुनकर अपने आपको ठीक करना चाहिये। ये कहते हैं कि हम ही ठीक हैं। चाहे बेड़ा डूब जाये, तुम ही ठीक हो ? अपोजिशन इज ए हैल्दी साइन। अगर अपोजिशन कमजोर होगा तो गवर्नमेंट गलती करेगी।

जहां तक हमारा ताल्लुक है, होपफुल हैं। लोग जायदाद, कब्जे और अपने इलाके पर लड़-लड़कर मर रहे हैं।

ये लोग सबसे पहले गुरुद्वारे जायेंगे, माथा टेकने। रास्ते में कोई मर जाये तो उसकी इनको परवाह नहीं, इन्होंने गरीब को रोटी नहीं देनी है, गुरुद्वारे पहुंचना है। साथ में बदमाशियां करनी हैं और शाम को माथा टेकने मंदिर में जाना है। जो मंदिर मस्जिद जाते हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, देख नहीं रहे कि क्या हालत हो रही है। ईश्वर सच्चा है, वह इनको ठीक करेगा। ईश्वर गरीबों की सुनेगा। जो हमारे साथ बेइन्साफी करता है, वह खुद मरता है, दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती।

मैं 10-15 साल मिनिस्टर रहा हूं। मैं हरिजनों को यही कहता रहा हूं कि तुमको चाहिये कि जो सिख और हिन्दू बदमाशियां करते हैं, वह तुम न करो ताकि जब मौका मिले तो वह कहें कि हरिजन अफसर लाओ वह जान बचायेगा। ईसाई अफसर अच्छे होते थे।

मैं गांवों में हरिजनों को कहता था—दूसरे लोगों को मैं नजदीक नहीं आने देता था; कुछ लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से शिकायत कर दी कि सुन्दरसिंह हरिजनों की बात करता है; मैंने जवाब दिया कि अब मैं हरिजन हूं तो हरिजनों की ही बात करूंगा—कि यही तुम्हारे दुश्मन हैं। उस वक्त अपोजीशन नहीं थी। उस वक्त सिर्फ कांग्रेस ही थी। उस वक्त कांग्रेस में कई निकम्मे, अमीर, धनाढ्य आदमी थे, जो लैंड रिफार्म्ज और दूसरे तरक्की के कामों के खिलाफ थे।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अब वे अपोजीशन में चले गए हैं।

श्री सुन्दर सिंह : अपोजीशन में शानदार आदमी हैं। उनमें से मैजारिटी हमारे साथ है। हरिजनों को अपने आपमें कान्फिडेंस होना चाहिए। उनको अपने जमीर के मुताबिक चलना चाहिए।

Be not a traitor to your conscience; be sincere and act according to your conscience and you shall surely succeed.

हमारी कान्शेंस बता देती है कि हम ठीक काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। वही शख्स आगे बढ़ सकता है, जो अपनी कान्शेंस के मुताबिक काम करता है। महात्मा गांधी की तरह हमें अपने आपको ठीक करना चाहिए, अपने आपको सुधारना चाहिए, तभी हम दूसरों का मुकाबला कर सकते हैं।

हरिजन सबसे कम लेते हैं और सबसे ज्यादा देते हैं। बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने वाले

लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं करते ।

Knowledge without character is a power for evil only as has been seen in so many instances of talented thieves and gentlemen rescals in the world.

जिस आदमी में कैरेक्टर नहीं होता, वह दूसरों को एक्सप्लायट करता है । परमात्मा देख रहा है कि हमारा एक्सप्लायटेशन हो रहा है । मगर अब हमारी वारी आ रही है । अब हमने आगे बढ़ना है । परमात्मा ने कभी उस कौम की हालत को नहीं बदला, जिसे अपनी हालत का खुद ख्याल न हो । अपनी तरक्की के लिए हमें खुद काम करना होगा । मुझे खुशी है कि ये लोग हमारे साथ ज्यादती करते हैं । इन्होंने खुद मरना है, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं बचा सकती ।

लोग सोशलिज्म की बात करते हैं, मगर उनके खाने में चार-चार सब्जियां होती हैं और वे रोज नये कपड़े पहनते हैं । वे लोग गरीबों की बात करते हैं, लेकिन गरीब बेचारे सड़कों पर पड़े रहते हैं । जो लोग मकान बनाते हैं, उनके लिए टट्टी जाने की जगह नहीं है । यह कितने दुख की बात है । कहा जाता है कि भारत ऋषि-मुनियों की भूमि है । यह तो एक चिंगड़ मोहल्ला है । ये लोग लाफजनी करते हैं । जो किसी को मारता है, वह खुद मरेगा । दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती ।

मैंने कल पंजाब की डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया । मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो सिख हैं, उनका यह फर्ज है कि वह सिचुएशन को ठीक करें और हरिजन खराब हैं, तो मैं उनको ठीक करूंगा । मैं हमेशा उन्हें गालियां देता हूं, क्योंकि मुझमें कान्फिडेंस है । जिनके पास कान्फिडेंस है, वे लोंगोवाल और भिंडरांवाले के पीछे क्यों भागते हैं ? इसका मतलब है कि उनमें कमजोरी है । वे उस कमजोरी को दूर करें ।

कहते हैं कि मैजारिटी है । मैजारिटी क्या है ? मैजारिटी उनकी है जो लड़ाई करते हैं । तुम्हारी मैजारिटी कहां है ? सिखों का मामला है तो सिख ही उसको ठीक करें, हिन्दुओं का मामला हिन्दू ही ठीक करें और हरिजनों का मामला होगा तो हम उसको ठीक करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बिल लाया गया है वह बहुत अच्छा बिल है । एक अलग से मिनिस्ट्री बननी चाहिए । लेकिन जो मिनिस्ट्री आयेगी वह भी नहीं करेगी, इसलिए मैं कहता हूं अपनी गवर्नमेंट ही बननी चाहिए ।

श्री आर.एन. राकेश (चैल) : दुनिया की डिक्शनरी में रिजर्वेशन शब्द का मतलब कुछ भी हो लेकिन यहां सरकारी डिक्शनरी में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, माइनारिटीज और बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन का मतलब है धोखा देना, झांसा देना—इससे अधिक कुछ भी नहीं है । डाक्टर गोपाल सिंह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 6 महीने पहले सरकार को दे दी, सरकार की ओर से इस सदन में यह आश्वासन भी दिया गया, 1983 के अंतिम सत्र में कि डा० गोपाल सिंह रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी लेकिन वह सत्र चला गया, साल चला गया वह रिपोर्ट पेश नहीं की गई । आज मुल्क के करोड़ों अल्पसंख्यक डा० गोपालसिंह कमीशन रिपोर्ट का अंजाम पाने के लिए इस सदन की ओर देख रहे हैं लेकिन इस सरकार ने गांधी के तीन बन्दरों की तरह आंख, मुंह और कान बन्द कर लिए हैं । मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का अंजाम भी आपके सामने है । गांधी के तीनों बन्दर कहते थे— बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो । रिजर्वेशन शब्द शेड्यूल्ड

कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, माइनारिटीज और बैकवर्ड क्लासेज के लिए शायद बुरा हो इसी लिए तीनों बन्दरों की तरह सरकारी पक्ष की ओर से आंख, मुंह और कान बन्द कर लिए गए हैं।

बलिहारी है डा० अम्बेडकर की जिन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आरक्षण की बात संविधान में रखवा दी थी वरना इस आरक्षण की हालत भी शायद वही हुई होती जोकि आज माइनारिटीज और बैकवर्ड क्लासेज के आरक्षण की हो रही है। संविधान में मोहर लगने के बाद भी आज 37 साल की आजादी के बाद यह सरकार शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के आरक्षण के प्रति कितनी सजग है उसके उदाहरण इस बिल को पेश करते समय, सूरजभान जी ने यहां पर कई विभागों के आंकड़ों के साथ पेश किए थे।

मैं और चीजों के ब्यौरे में न जाकर बैंकों में आरक्षण की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :

CENTRAL BANK OF INDIA

Scheduled Castes	Percentage
Scheduled Caste Officers	1.398
Clerks	12.87
Subordinate staff (excluding sweepers)	14.47
Scheduled Tribes	
Scheduled Tribe Officers	0.27
Clerks	2.43
Subordinate staff (excluding sweepers)	2.64

BANK OF INDIA : percentage of Scheduled Castes : officers 8.418, clerks 11.13, subordinate staff excluding sweepers 17.58.

ST : officers 3.00, clerks 3.36, subordinate staff 4.29.

PUNJAB NATIONAL BANK : SC—officers 7.099, clerks 14.54, subordinate staff 17.38.

ST—officers 1.31, clerks 1.50, subordinate staff 3.70.

BANK OF BARODA : SC—officers 6.412, clerks 12.48, subordinate staff 19.03.

ST—officers 0.87. clerks 1.30, subordinate staff 4.92.

UNITED COMMERCIAL BANK : SC—officers 3 035, clerks 8.25, subordinate staff excluding sweepers 18.45.

ST—officers 0.55, clerks 1.17, subordinate staff 2.58.

15.57 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

CANARA BANK : SC—officers 4.323, clerks 13.68, subordinate staff excluding sweepers 16.00

ST—officers 1.40, clerks 2.95, subordinate staff 2.97.

UNITED BANK OF INDIA : SC—officers 5.527, clerks 17.31, subordinate staff 12.96.

ST—officers 0.88, clerks 0·95, subordinate staff excluding sweepers 1.44.

DENA BANK : SC—officers 4.190, clerks 13.30, subordinate staff excluding sweepers 25.73.

ST— officers 1.47, clerks 3.44, subordinate staff 8.07.

SYNDICATE BANK : SC—officers 6.384, clerks 11.95, subordinate staff including sweepers 24.54.

ST—officers 1.22, clerks 3.28, subordinate staff 5.88.

UNION BANK OF INDIA : SC—officers 2.967, clerks 15 33, subordinate staff 28.11.

ST —officers 0.55, clerks 1.16, subordinate staff 2.71.

ALLAHABAD BANK :

SC—Officers	3.029
Clerks	12.99
Subordinate Staff	20.58
	including sweepers
ST—Officers	0.52
Clerks	0.97
Subordinate Staff	1.57

INDIAN BANK :

SC—Officers	6.866
Clerks	13.00
Subordinate Staff	28.96
	including sweepers
ST—Officers	2.43
Clerks	2.99
Subordinate Staff	4.25

सभापति महोदय : क्या सब पढ़ेंगे ?

श्री आर० एन० राकेश : मैं जल्दी खत्म करूंगा, यह बहुत गम्भीर चीज है। ये सारे बैंकों के आंकड़े हैं। इस प्रकार—

Total number of employees	1;61,631
Total number of SC employees	7,463
Percentage	4.6
Total number of Scheduled Tribes	1,741
Percentage	1.09

CLERKS

Scheduled Castes	total 12.9%
Scheduled Tribes	2.06%
Subordinate Staff	
Scheduled Castes	22.4%
Scheduled Tribes	4.2%

रेल विभाग केन्द्रीय सरकार का सबसे बड़ा महकमा है, लेकिन इसमें भी किसी क्लास और किसी भी कैटेगरी में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा पूरा नहीं है। खुद रेलवे विभाग में 26 रेलवे सर्विस कमीशन हैं लेकिन किसी भी कमीशन का चेअरमैन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी नहीं है। अभी हाल में मौजूदा रेल मंत्री ने कुछ नाम रिकमेण्ड किये हैं जिनसे आपको मालूम हो जायगा कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति वे कितने जागरूक हैं। इन्होंने पिछले दिनों 6 रेलवे सर्विस कमीशनों के लिये चेअरमैनों के नाम रिकमेण्ड किये, लेकिन उनमें एक भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में इनको एक भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कम्पीटेंट आदमी नहीं मिला। कैसे-कैसे लोगों को रिकमेण्ड किया है—उसको भी सुन लीजिये। एक आदमी का नाम दो बार रिजैक्ट हो चुका है—अण्डर-एज होने के कारण, लेकिन फिर भी उसके नाम को रिकमेण्ड किया गया। एक आदमी के बारे में मैं दावे के साथ कहता हूं—उसका नाम थाने में हिस्ट्री-शीटर के रूप में दर्ज है, पाकेटमारी में 6 महीने की सजा काट चुका है, लेकिन उसका नाम भी रेलवे सर्विस कमीशन का चेअरमैन बनाने के लिये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को एप्रूवल के लिये भेजा गया।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : जब कैण्डीडेट्स आयेंगे तो उनकी जेब काटेगा।

श्री आर०एन० राकेश : अब जहां तक जुडीशियरी का सवाल है--जहां लोगों को इन्साफ मिलता है, वहां सर्विस में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इन्साफ नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर किसी भी हाई कोर्ट में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का नौकरी में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इलाहाबाद हाई कोर्ट का देता हूं। वहां जजेज के बीच में यह तय कर लिया गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट का कोई भी जज वहां आने नहीं देंगे। वहां पर 20 जजेज की नियुक्ति के

लिये नाम रिकमेण्ड हुए हैं लेकिन उनमें शेड्यूल्ड कास्ट्स के एक भी आदमी का नाम रिकमेण्ड नहीं किया गया है। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जायगा।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे एक भी महकमे का नाम बता दें, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एक महकमे का नाम बता दें, जिसमें सीनियर क्लास 1 में प्रोमोशन में रिजर्वेशन दिया गया हो। कहीं नहीं दिया जा रहा है। यू०पी०, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने तो जैसे इस पर बैन लगा दिया हो कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन नही देना है।

एफीशियेन्सी के बारे में आर्टीकिल 335 की बात कही जाती है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के रिक्रूटमेंट से वर्क की एफीशियेन्सी में कमी आ जाती है लेकिन मैं कहता हूं कि संविधान में जिस समय यह बात रखी गई थी, तो एक पाक इरादे से रखी गई थी लेकिन उस इरादे को आज लोगों ने नापाक कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि डा० अम्बेडकर जब कांस्टीटुयेन्ट एसेम्बली के चेयरमैन बनाए गये थे, तो वर्क में कौन-सी इनएफीशियेन्सी आ गई थी और बाबू जगजीवन राम जी जिस भी महकमे में गये, वहां उनको फार्चूनेट मिनिस्टर कहा जाता था और उनको एक फार्चूनेट मिनिस्टर के रूप में प्रसिद्ध मिली। उनके मिनिस्टर रहने से कौन से काम में इन-एफीशियेन्सी आ गई थी और इस सदन मे भी आप देखें। हमारे राम विलास पासवान जी हैं, जगपाल सिंह जी हैं और श्री सूरजभान हैं और चाहे इधर के सदस्य हों और चाहे उधर के सदस्य हों, जो आरक्षित सीटों पर लड़कर लोग आए हैं, उनसे क्या पार्लियामेंट के काम में कोई इनएफीशियेन्सी आई है।

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तेनसिंह का एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहला कदम पड़ा और वह आदिवासी था। 1965 में पाकिस्तान के 6 अमरीकी बोम्बर जेट्स को जिसने मार गिराया था, वह करनसिंह राजू था और वह शेड्यूल्ड कास्ट का था। जब आप इनएफीशियेन्सी की बात करते हैं, तो मुझे वही बात याद आ जाती है कि सास स्टोर को बन्द करके चली जाती है और बहू से कहती है कि तुम खाना बना लेना। जब स्टोर का दरवाजा खुलेगा, तभी बहू खाना बना सकती है। इसी तरह से मेरा कहना यह है कि आप हमारे लिए दरवाजा तो खोलिए, आप हमारे लिए कानून बनाइए और हम अच्छे ढंग से उसको चला सकते हैं। रूल बनाना कठिन है और रास्ते पर चलना आसान है। मेरा तो कहना यह है कि सरकार शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कोटे को पूरा ही नहीं करना चाहती है। आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग का नाम बता दीजिए, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स और और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पूरा कोटा भरा गया हो। आप बीस-सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं और इसके लिए बड़ा हंगामा मचाते हैं। आप यही बता दीजिए कि बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दुस्तान में किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी को भर्ती किया गया हो और उसको रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण को भरने के लिए, जिन लोगों ने संविधान की अवहेलना की है और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कोटे को नहीं भरा है, आप बता सकते हैं कि इन 37 सालों में आपने किसी भी अधिकारी को दंडित किया हो या सिम्पिल वार्निंग दी हो। इसलिए मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, उनको आप दंड दीजिए। 37 वर्षों के बाद शेड्यूल्ड कास्ट्स का कोटा कितना भरा जाना

चाहिए, किस कैटेगिरी में भरा जाना चाहिए था और कितना अभी तक नहीं भरा गया है और क्यों नहीं भरा गया है और कौन इसके लिए जिम्मेवार है और कितने लोगों को दंडित किया गया है, इसके बारे में एक व्हाइट पेपर निकालिये। डा० अम्बेडकर ने इन हालात से दु:खी होकर अपने अन्तिम समय में कहा था कि इस संविधान को मैंने मन्दिर के लिए बनाया था लेकिन यह संविधान मंदिर में न पहुंचकर शैतान के हाथों में पहुंच गया है। इसलिए आरक्षण के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है।

अन्त में मैं सूरजभान जी को बधाई देता हूं कि वे एक ऐसा विधेयक लाएं क्योंकि सरकार ऐसे बिल को लाने में नाकामयाब रही है।

लेकिन आपने इस बिल को पेश करके सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया है। मेरा निवेदन है कि गांधी के बंदर न बनो। आंखें, कान और मुंह बंद मत करो। हालात को देखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): Mr. Chairman, Sir, this subject of job reservation for SC and ST and backward communities has a chequered history in this country.

Our land is a land of castes and classes. In this context, we have to examine how far justice is done to these communities because nearly 85% of our population consists of scheduled castes, scheduled tribes and backward communities.

Sir, if you examine the history of this major section of the Indian society, you will find that there was a struggle in 1873 in Maharashtra for the job reservation for scheduled castes and scheduled tribes and backward communities.

If you analyse the history from 1873 onwards you will find that in Mysore State in 1880 the Maharaja of Mysore issued an order reserving 75% of the job to the scheduled castes, scheduled tribes and other backward communities.

If you look to the history of the then Madras State there again you will find that in 1960 Shri P. T. Chettiar and Dr. T.M. Nair started a mass upsurge, a big popular movement, for justice being done to these communities. As a result of that, the Justice Party was formed; in the year 1920 they came to power. When they came to power, they issued various orders reserving jobs for this major section of the Indian population.

But that could not be implemented due to the severe resistance and objection of the upper class Hindus. Nevertheless the spirit was really put into more effective force by E.V.R. in 1960.

Now, if you look at the history of the South versus North in the matter of job reservation you will find that the South has been in the forefront of job reservation for weaker sections in contrast with the situation obtaining in the North.

Going into some of the writings, I find that the situation was very, very bad indeed in the North, until Dr. Ram Manohar Lohia started a sincere effort to give some sort of solace to this section of our society. However, he could not succeed. In Bihar, in U.P, Maharashtra and other States, they could not do much in this field. Why has this thing happened? It happened in the South; it has not happened in the North. That is a subject really worth examining.

Now, Sir, if you recall the events, you will find that the South had the privilege of getting education at an earlier stage due to the dedicated services of the Christian Missionaries there. Therefore, there was a social awareness and there was a feeling that injustice is being done to the majority of the population there, namely, the scheduled castes, and other backward communities.

If you look at the States like Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra, you

will see that there is a better performance in the field of job reservation of these classes.

Sir, our Constitution was framed with the sole object of eliminating discrimination and giving justice, liberty, equality and fraternity to the population.

In that context if you look at the Articles 15, 16, 388, 340, 341 and 342 of the Constitution and again Schedules V and VI of the Constitution, you will find that the Constitution has in a pragmatic way imposes upon the State Governments, Central Government and other authorities to make proper job reservations to various classes of people, that is, Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other backward classes of people in the country. But the moot question today is, how far that could be implemented. How far could that job reservation be made for the benefit of this section of people ? If you recall during the freedom movement and after freedom movement, this section of the people and their leaders had been demanding justice for them because the basic philosophy of democracy is to get equal part or role in the administration of the country, that is, the Government. It is not merely to get the monetary benefit alone. Of course, they equally deserve monetary benefits, but above all, they want to involve themselves in the running of the Government in the economic activities of the nation. In that context, I may point out that we have not yet achieved a near target.

My Hon. friends here have highlighted the nominal microscopic percentage of the jobs given to various categories of people. I do not want to go into this aspect in detail. But the question remains : how far can we go on with the present pace we have ? Will the people belonging to this category wait ? How long will they wait ? This is a serious question which we have to consider in the present context. Now, what is happening in certain parts of the nation ? It is nothing but a sign of sickness of our nation. If the majority of the people are not given justice, if the majority of the people do not have voice in the administration of the Government, if the majority of the people do not get benefit from the Government, any amount of legislation that you bring forward for these people will have no meaning. Therefore, I feel that this Bill in that context is very very important indeed.

Sir, I have two basic suggestions to make in this regard. One is the universal education which is a primary necessity for the common people in order to create awareness among the people. As I said earlier, South is much advanced in the field of education. Now, in this connection, I would like to put a pertinent question. How long the State Governments can go on spending their own revenue in the matter of education ? For example, the Kerala Government is spending nearly 47% of their revenue on education alone. Has any other State Government determined to spend that much money on education ? How long can they meet this expenditure ? This is an area where the Central Government should do a lot, by way of giving sufficient assistance for education of Scheduled Caste and Scheduled Tribe and other backward classes. If you make an attempt in that area, I think we can improve a lot, especially the conditions of the weaker sections.

Another important aspect which we have to examine is the economic emancipation of the weaker sections of the people.

I know, there are various schemes for the upliftment of this class. At the same time, many of these schemes are being implemented by the State Governments. We have to ask : Do we have a monitoring system to see how far the economic schemes beneficial to this section of the people are being implemented sincerely ? Who are the beneficiaries ? Therefore, the corollary to the education aspect is the need for the economic emancipation of the scheduled castes, scheduled tribes and backward communities. In that context, the 20 Point Programme has a valuable contribution to make. Out of these 20 Points, 18 of them have to be implemented by the State Governments. If these points are sincerely implemented, this section will be benefitting much more, and at the same time, we should endeavour to preserve the culture and tradition of the scheduled castes and scheduled tribes. At present, this is being eroded closely due to the various reasons, but ours is a great culture and great nation,

and we must preserve the traditional, cultural heritage of these people.

At the same time, we must have proper job training and equal distribution of the jobs instead of concentration in any area. If we do this, I think, many of the things which my Hon. friend has mentioned in his Bill can be effectively implemented. He has mentioned about reservation of vacancies in posts and services for scheduled castes and scheduled tribes only. What about the backward classes? They are also a major part of this nation. My submission is that the spirit of the Bill should be appreciated, and I hope, the Government will come forward with more concrete steps to see that proper job reservation is done for these three classes, namely, the scheduled castes, scheduled tribes, and also the backward communities.

With these words, I support the spirit of the Bill.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, सबसे पहले मैं माननीय श्री सूरजभान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है और जिसका सम्बन्ध इस मुल्क की लगभग एक-चौथाई आबादी से है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यदि सरकार ने इस बिल को पास करने की कोशिश नहीं की तो इस मुल्क में इसकी रिपरकशन बड़ी भयानक होगी। क्योंकि संविधान को बनाने वाले स्वर्गीय बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने इस मुल्क की एकता के लिए जो बलिदान दिया था, माननीय मंत्री जी को भी मालूम है कि इस देश में मेहनतकश लोग रहते हैं और बाबा साहेब डा० अम्बेडकर के सतत संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने यहां कम्यूनल एवार्ड घोषित किया था, उस कम्यूनल एवार्ड का मकसद यही था कि इस मुल्क में जो लोग हजारों-हजारों साल से दबे-पिसे चले आ रहे हैं उनको भी कुछ संविधान के अंदर अधिकार दिए जाएं, हमारे संविधान में उनका प्रावधान हो और रिजर्व्ड सीट से चुनकर आने वाले लोगों को सिर्फ हिन्दुस्तान के शैड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ही चुनें। गांधी जी के जीवन को बचाने के लिए डा० अम्बेडकर ने जो बलिदान दिया, वह स्मरणीय घटना है। यदि उन्होंने वह बलिदान न किया होता तो जहां एक ओर पाकिस्तान हमारे मुल्क में बना, दूसरी ओर अछूतिस्तान की बुनियाद भी पड़ चुकी थी। परन्तु उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया। लेकिन अफसोस है कि संविधान बनने के बाद, जिस पार्टी की भी सरकार इस देश में रही, उन सरकार में बैठने वाले लोगों के दिमाग में इस मुल्क की एक-चौथाई जनता को उन्नत करने की आज तक कोई मंशा या इरादा नहीं है।

इसलिये मैं शुरू में ही कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप माननीय सूरजभान के इस बिल को पास नहीं करेंगे। तो आप ही ऐसा बिल ले आयें। आज सर्विसेज में इनके साथ क्या हो रहा है इसको अछूतवर्ग के लोग अच्छी तरह से समझते हैं। चाहे अपोइन्टमेंट हो, प्रोमोशन हो सब जगह उनके साथ अन्याय किया जाता है। हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमेटी के सदस्य रहे हैं, उस नाते देश के हर संस्थान में देखा है, इनके साथ न्याय करने के लिये कोई अधिकारी तैयार नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य के बिल को पास करके ऐक्ट बनाना जरूरी है। एस. सी. टी. सी. ने डिमान्ड किया था कि ओ. एन. जी. सी. बोर्ड की तरह इस कमेटी को भी पावर होनी चाहिये ताकि अगर किसी विभाग के अन्दर रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है तो उस विभाग के अधिकारी के खिलाफ यह कमेटी ऐक्शन ले सके। इस बिल में 15 दिन की सजा का प्रावधान है। मैं समझता हूं कि जो अधिकारी इस देश की एक बटे चार पोपुलेशन को जानवरों की तरह रखना चाहता है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ

15 दिन की सजा कम है। लेकिन चूंकि माननीय सूरजभान का कहना है कि कंडक्ट रूल्स के मुताबिक अगर किसी अधिकारी को एक दिन भी सजा हो जाय तो वह सर्विस में नहीं रह सकता, इसलिये मैं इस प्रोवीजन से सहमत हूं। ऐसे लोगों को तो अवश्य ही जेल भेजा जाय।

ऐंटी रिजर्वेशन मूवमेंट देश में चला और शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स लोगों का देश की नौकरियों में क्या परसेंटेज है ? हायर सर्विसेज में 2-3 परसेंट से ज्यादा लोग नहीं हैं। चौथी लोकसभा में श्री पेरुमल कमेटी की संस्तुति थी कि एक ऐसा ऐक्ट बनना चाहिये जिसमें रिजर्वेशन की गारन्टी हो और जो इम्प्लीमेंट न करे उसको सजा दी जानी चाहिये। शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर की 26वीं रिपोर्ट सरकार के पास है उन्होंने कहा है कि ऐसा ऐक्ट इमप्लीमेंटेशन रिजर्वेशन का करने के लिये बनना चाहिये। लेकिन अभी तक नहीं बना। हमारी पार्लियामेंटरी कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश है कि रिजर्वेशन को पूरा करने के लिये कानून बनना चाहिये। 3 प्रदेशों की सरकारों ने ऐसा ऐक्ट बना रखा है—उड़ीसा, मणिपुर और वेस्ट बंगाल। जो सरकारें केन्द्र के अधीन चल रही हैं वह कानून बना सकती हैं। लेकिन नहीं। मंत्री जी खुद इस जाति से सम्बन्धित हैं। आप ही ऐसा कमप्रीहेंसिव बिल लायें ताकि आने वाले समय में शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की सर्विसेज में सुरक्षा हो।

मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो गवर्नर संविधान के खिलाफ भाषण देता हो, वह चाहे गवर्नर हो या मंत्री हो, ऐसा प्रावधान होना चाहिये कि ऐसे आदमी को हथकड़ी लगाकर के तुरन्त जेल भेजा जाय। लेकिन सरकार इस मामले में चुपचाप बैठी देखती रहती है।

आर्टिकिल 335 पर जब डिबेट चल रही थी डा० अम्बेडकर ने खुद कहा था कि रिजर्वेशन सिर्फ सर्विसेज में नहीं, पोस्ट में होना चाहिये और मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं हमने शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमेटी के सामने एक मिलिटरी अफसर को तलब किया वह यह कह कर चला जाय कि रिजर्वेशन देकर इस मुल्क की एकता को खतरा हो सकता है और हम कुछ नहीं कर सके, कितने अफसोस की बात है। उस वक्त हमें पावर नहीं थी। अगर हमें पावर होती तो उस अधिकारी के खिलाफ हम उसी वक्त ऐक्शन ले सकते थे। लेकिन पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने अफसर ऐक्यूज करके चला जाय। अगर हायर सर्विसेज में हिन्दुस्तान में आदिवासियों को पोस्ट देंगे तो मुल्क को खतरा होगा ? खतरा इससे नहीं है। अगर आपने एक-चौथाई पापूलेशन को बराबर की इन्सानियत का दर्जा नहीं दिया तो यह मुल्क आज नहीं तो कल टूट जायेगा। खालिस्तान की मांग करने वाले लोग इस मुल्क को तोड़ें या न तोड़ें लेकिन एक-चौथाई पोपूलेशन जानवरों की तरह पैदा होगी और जानवरों की तरह मर जायेगी तो इस मुल्क को खतरा उससे हो सकता है।

आर्टिकल 335 के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम जस्टिस सुब्बा राव और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बाकायदा फैसला दिया था और कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल के अगेन्स्ट जो ये लोग गये हैं, आर्टिकल 335 में 'कंपीटेन्सी सब्जेक्ट टू मेन्टेनिंग एफीशिएन्सी, इसके खिलाफ जजमेंट है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि कांस्टीट्यूशन के इस आर्टिकल में से ये शब्द हटाये जायें। कंपीटेंसी और एफीशियेंसी मेन्टेन करने के नाम पर अगर शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ इस मुल्क में ज्यादती होगी तो इस मुल्क का संविधान भी ज्यादा दिन नहीं बच सकता।

रिजर्वेशन के बारे में कांस्टीट्यूशनली इस पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियामेंट सौवरन है।

कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 246 के 7वें शेड्यूल्ड के अनुसार हमारी पार्लियामेंट बिल्कुल कम्पीटेंट है कि ऐसा बिल लेकर आये और ऐसा कानून बनाये कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को सर्विसेज में अपमान का सामना न करना पड़े। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता, लेकिन हमारी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी की रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट को दी गई है। उसने रिकमेंड किया है कि ऐसा ऐक्ट बनना चाहिये जिसमें पावर हो हिन्दुस्तान की इन हायर कम्युनिटी के अफसरों के खिलाफ ऐक्शन लेने की।

मिलेट्री में बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के जमाने में महार और चमार रेजीमेंट थीं। मैं मांग करता हूं कि इस मुल्क में जाति के नाम पर रेजीमेंट नहीं रहनी चाहियें। चाहे वह सिख हो, जाट हो, डोगरा हो, हमारे मुल्क में बिरादरी और धर्म के नाम पर अगर रेजीमेंट बनें तो मैं उसका विरोध करता हूं लेकिन अगर सरकार जातियों के नाम से रेजीमेंट रखना चाहती है तो जो रेजीमेंट महार और चमार खोले गये थे, जिनको खत्म कर दिया गया था, मेरा निवेदन है कि सरकार उनको दोबारा खोले ताकि मिलेट्री में हमारे लोग जायें, हथियार चलाना सीखें, घरों पर आने पर अपने घरों की सुरक्षा करें। रिटायर होने के बाद उनमें हौसला होगा और जो हरिजनों पर एट्रोसिटीज, दमन, कत्ल और जिन्दा जलाने की घटनाएं होती हैं, वह खुद उनका मुकाबला करें।

इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, माननीय सूरजभान जी ने जो हिम्मत की है, ऐसा बिल लाने की मैं उनका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बिल को पास करेगी।

श्री रामप्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : सभापति महोदय, मैंने इस बिल पर जब से बहस शुरू हुई है, तब से माननीय सदस्यों के विचारों को सुन रहा हूं। मैंने इस बिल को लाने वाले माननीय श्री सूरज भान जी को भी सुना है। इसलिये बहुत बड़े आंकड़ों में न जाकर में कुछ बुनियादी बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कुछ कहने के पहले मैं माननीय सूरजभान जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह इस बिल को लाये और हम लोगों को ऐसे विषय पर बहस करने का मौका दिया। आज देश में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं। हमारे भाई श्री जगपाल सिंह जी ने 25 प्रतिशत कहा है। मैं इसमें उनको भी शामिल करता हूं जो माइनोरिटी में हैं और अत्यन्त पिछड़े वर्ग के हैं। सबको मिलाया जाये तो इनकी संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाती है। क्योंकि मुख्यतः शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर ज्यादा ध्यान है, इसलिये इनकी बात भी किसी हद तक सही है।

यह सही है कि पिछले 37 वर्षों में रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए कई प्रयास हुए हैं और इस सम्बन्ध में जो कमियां तथा खामियां हैं, उनकी जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बहुत सी समितियां भी बनाई गई हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमीशनों की रिपोर्टें भी आती रही हैं। लेकिन दुख है कि अभी हम सर्विसिज की किसी भी कैटेगरी में निर्धारित 18 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत रिजर्वेशन पूरा नहीं कर सके हैं। केन्द्रीय विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है।

आज हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि एक तरफ दूसरे वर्गों के लोगों में

यह भावना फैलाई जा रही है कि हरिजनों और आदिवासियों को सब सुविधाएं दी जा रही हैं और दूसरी तरफ रिजर्वेशन के प्रावधानों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम ईर्ष्या-द्वेष के भाजन बन रहे हैं। ट्रेन, बस और होटल में कई लोग कहते हैं कि सारी सुविधाएं शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले ले जा रहे हैं लेकिन जो हकीकत है, वह आपने आंकड़े से देख ली है। अभी हम बहुत पीछे हैं। दो साल पहले गुजरात में क्या हुआ? एडमिशन को लेकर मामला उठा और कितना खून-खराबा हुआ।

श्री डागा ने कहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए। इसमें कौन डिफर करता है? लेकिन क्या वह भूल गए हैं कि इस देश में इंजीनियरिंग और मैडिकल कालेजों में डोनेशन्ज से भी एडमिशन होते हैं? उसमें छात्रों के मार्क्स नहीं देखे जाते। लेकिन जब शेड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मामला आता है, तो माननीय सदस्य कहते हैं कि उनके लिए कम्मीट करना बहुत जरूरी है। मैं उसे भी मानता हूं, परन्तु यह तब होना चाहिए, जब सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं कि दूर-दराज रहने वाले हरिजनों और आदिवासी, जो ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं, जिनका स्तर बहुत निम्न है, उन लोगों के सामने प्रतियोगिता में टिक सकेंगे, जो पब्लिक स्कूल या कनवेन्ट में पढ़े हैं? क्या आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सक्षम लोगों की तुलना उन लोगों से की जा सकती है, जो सदियों से दलित, पीड़ित और शोषित रहे हैं?

हमने संविधान में समता का अधिकार दिया है। लेकिन जब तक उस अधिकार को प्राप्त करने का साधन समान न हो जाए, तब तक रिजवेशन की व्यवस्था को जारी रखना पड़ेगा।

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इस सम्बन्ध में कुछ सांविधानिक कदम उठाने चाहिएं। केवल कानून बना देने से काम नहीं चलेगा। डा. अम्बेडकर ने संविधान बना दिया। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज की नीयत और सोचने के तरीके में परिवर्तन लाया जाए। देश में बहुत से कानून हैं, जिनका पालन नहीं हो रहा है। इस बारे में कड़े कदम उठाने होंगे।

माननीय सदस्य ने इस बिल में जो दंड देने की व्यवस्था की है, वह कम है, शायद इसलिए कि कहीं ज्यादा कड़ा दंड रखने से लोगों की भावनाएं और न भड़क उठें और हमारा जीना भी दूभर हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्स के द्वारा कड़ाई की जा सकती है। विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे जी ओज जारी किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि जो अधिकारी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिजर्वेशन को पूरा नहीं करेगा, उसको दंडित किया जाएगा, उसकी चरित्र-पंजिका में एन्ट्री की जाएगी। हमें सारे हिन्दुस्तान का दौरा करने और विभिन्न विभागों की जांच-पड़ताल करने का अवसर मिला है। हमने कहीं यह नहीं पाया कि किसी भी अधिकारी की चरित्र-पंजिका में एन्ट्री की गई हो कि उसने रिजर्वेशन पूरा नहीं किया है। मंत्री महोदय को इस स्थिति में कड़े कदम उठाने होंगे। रिजर्वेशन को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता। सरकार इस बारे में टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बनाए और रिजर्वेशन को पूरा न करने वाले अधिकारियों के लिए दंड की व्यवस्था करे।

जहां तक प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात है उसके सम्बन्ध में भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। तीन साल तक तो इनके करैक्टर रोल

ठीक रहते हैं लेकिन ई.वी. क्रास कर लेने के बाद उनके करैक्टरोल में लिख दिया जाता है "अनसेटिसफैक्टरी"। अभी बाम्बे में एक रेलवे कर्मचारी था जोकि बहुत अच्छा काम कर रहा था, 4-5 साल तक उसका करैक्टर रोल बहुत अच्छा काम कर रहा था लेकिन उसके बाद प्रमोशन के टाइम पर उसके करैक्टर रोल में लिख दिया गया कि उसका वर्क सेटिसफैक्टरी नहीं है और उसकी बिना पर उसका प्रमोशन रोक दिया गया। श्रम मन्त्री ने भी एक बार यह कहा था कि प्रमोशन के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण होना चाहिए ताकि इस तरह से उनके करैक्टर काल खराब करके प्रमोशन रोके जा सकें।

इनकी आर्थिक उन्नति कैसे की जाए—इस सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। आज सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से इनके उत्थान के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं — आई.आर.डी.पी., एन.आर.ई.पी. स्पेशल काम्पोनेन्ट प्लान, सब टाइबल प्लान वगैरह—उनकी मानिटरिंग होम मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं की जा रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि इन कार्यक्रमों के लक्ष्य पूरे करने में कांपटीशन राज्यों में चल रहे हैं लेकिन जो हम वास्तव में उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं वह उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस साल इन कार्यक्रमों का बड़ा अच्छा टेम्पो बना है लेकिन इनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इनकी मानिटरिंग यहां होम मिनिस्ट्री की ओर से की जाए। हम यह भी चाहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड टाइब्स के लिए एक अलग से फुलफ्लेज्ड मंत्रालय की स्थापना की जाए।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई वर्षों से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड टाइब्स की लिस्ट को संशोधित करने का प्रश्न चल रहा है। 15 सालों से केन्द्रीय सरकार राज्यों से रिपोर्ट मंगवा रही है लेकिन अभी भी 6 राज्यों ने रिपोर्टें नहीं भेजी हैं। मैं समझता हूं केन्द्र को ताकत अपने हाथ में लेनी चाहिए और इस तरह से राज्यों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश से लिस्ट आ गई है और कोई झगड़ा नहीं है तो उसको मान लेना चाहिए। इसके अलावा विरोधी दल के लोग जो राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं, जैसे मंडल कमीशन की बात है तो उसकी भी जिन संस्तुतियों को माना जा सकता है, उनको मान लिया जाना चाहिए। दक्षिण भारत तथा अन्य कई राज्यों में भी इसके आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा है तो सारे देश के स्तर पर भी इसको मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

इसी प्रकार हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जिनमें हमारे देश की वित्तीय संस्थाओं, बैंकों का 30 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है वह अभी कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि कम-से-कम जिन निजी उद्योगों में लोन या अनुदान दिया गया हो, हमारी वित्तीय संस्थाओं की ओर से वहां पर सरकारी विभागों की तरह से आरक्षण लागू करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इसकी कुछ धाराओं से तो मैं सहमत नहीं हूं लेकिन अगर यह उड़ीसा में हो गया है, बंगाल में हो गया है तो यहां पर भी कोई-न-कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि समयबद्ध रिजर्वेशन पूरा कराने के लिए आपको पावर मिल सके वरना आप जानते ही हैं आज यह प्रश्न बड़ा संवेदनशील होता जा रहा है और आज राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी इस बात की आवश्यकता है कि 70 करोड़ लोगों में जिसको जिस प्रकार की दवा की आवश्यकता हो वह दवा उसको दी

जाए ताकि सभी समान रूप से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें।

इन पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए आपको अधिक करना पड़ेगा। जैसे कि परिवार में जब एक आदमी बीमार पड़ जाता है, तो उसको अच्छी दवायें और टोनिक दिए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार आपको इनको टोनिक देना पड़ेगा। यह उसका प्रजातान्त्रिक हक है।

इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य जिस भावना से बिल लाए हैं, उस ओर मंत्री महोदय को निश्चित तौर से कदम उठाने पड़ेंगे। उधर के लोग कुछ राजनीति करते हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति के लिए तो देश की सबसे बड़ी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं, जब रिजर्वेशन समाप्त हो रहा था, तब हमारे देश की नेता द्वारा ही इसको बचाया गया था। जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम, चाहे आई. आर. डी., एन.आर.ई.पी., स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, सब-ट्राइबल प्लान हैं, ये सब हमने दिए हैं। ये सब गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए कार्यक्रम हैं। इस बात को उधर के सदस्य भी जानते हैं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, हमारे साथी पनिका जी ने कहा है, मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं। लास्ट लाइन का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि उसके बगैर तो भाषण पूरा नहीं होता है। उन्होंने जो भावना व्यक्त की है, मुझे खुशी है कि पूरा सदन इस बात से सहमत है।

सभापति महोदय, जब आरक्षण दिया गया था, तो संविधानक के मुताबिक इसको दस साल का समय दिया गया था। मैं एक बात सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह आरक्षण किसी पार्टी की देन नहीं है, यह कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि जब कांग्रेस पार्टी हकुमत में आई, तब से आरक्षण शुरू हुआ, हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ, तब से यह आरक्षण शुरू हुआ। आरक्षण की शुरूआत बहुत पहले से हो गई थी। हां, यह ठीक है कि पहले आरक्षण कम था, अब उसको बढ़ाया गया है।

(व्यवधान)

मैं कह रहा था कि आरक्षण बहुत पहले से हुआ। हमें खुशी है कि आजादी से जो लोग निकले थे, उनको राष्ट्र से प्रेम था, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हिन्दुस्तान में जो दबे हुए लोग हैं, उनको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए आरक्षण आवश्यक है। यही कारण था कि आरक्षण का प्रावधान किया गया। यदि आप संविधान के प्रियेमबल को देखेंगे तो उसमें पहला शब्द सोशियल लिखा हुआ है। हम सामाजिक समता के लिए, आर्थिक समता के लिए और राजनीतिक समता के लिए कमिटेड हैं। इसलिए पहला शब्द है, सामाजिक समता का। संविधान के निर्माता इस बात को मानकर चले थे कि यदि नीयत साफ हो तो किसी भी कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए दस साल का समय काफी है। चाहे अम्बेडकर जी हो या कोई भी हो, दस साल का समय दिया गया था। इसके पीछे यह नीयत थी कि दस साल के अन्दर देश में पूर्ण रूप से समानता आ जाएगी। जात-पात की दीवार टूट जाएगी। सब लोग बराबर स्तर पर आ जायेंगे। उन्हें क्या पता था जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे-वैसे असमानता और बढ़ती जाएगी, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। पहले एक-दो लोगों की हत्या हुआ करती थी, लेकिन अब गांव के गांव जला दिए जाते हैं, कास्ट के नाम पर। इस होली की बात मैंने उसी दिन कही थी कि एक तरफ लोग रंग की होली खेल रहे थे और दूसरी तरफ इन लोगों के साथ खून की होली खेली गई।

चाहे महाराष्ट्र में हो या दूसरी जगहों पर हों। नतीजा यह हुआ कि हमारी नीयत साफ नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ हो भी, तो जो मशीनरी काम करती है, जिसके द्वारा हम काम करवाते हैं उसकी नीयत साफ नहीं है।

मैंने डागा जी का भाषण सुना। डागा साहब एक बात पर जोर देते हैं और उनकी उस बात में दम है। जो आई० ए० एस० का लड़का हो, जो बड़े मिनिस्टर का लड़का हो, उसको रिजर्वेशन क्यों मिले? ठीक है, नहीं मिलना चाहिये, लेकिन यह मामला कब उठेगा? तब उठेगा जब शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दोनों को मिलाकर 25 परसेन्ट का कोटा पूरा हो जायगा। तब आप इकानामिक क्राइटेरिया लागू कीजिये, सबसे पहले जो गरीब है उसको मिलेगा, अगर अभी से करेंगे तो जो फूल धीरे-धीरे बढ़ रहा है, वह मुरझा जायगा।

इस देश में दिक्कत यह है कि जब हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि गुस्से में क्यों बोलते हो। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है, सिर्फ हिन्दुस्तान में है, यहां गरीब अमीर हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, लेकिन डागा साहब या रंगा साहब यह चाहें कि वे शेड्यूल्ड कास्ट बन जायें तो यह समाज परमिट नहीं करेगा। अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट यह चाहे कि वह अपर कास्ट बन जाय तो वह नहीं हो सकता है। अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन एक जाति का आदमी दूसरी जाति में नहीं जा सकता है। लोग धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, हिन्दू मुसलमान हो सकता है, हिन्दू बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है लेकिन एक जाति का आदमी दूसरी जाति में नहीं जा सकता है। यह इस देश में सबसे बड़ी विडम्बना है। हमारे जैसे लोग हमेशा यह मानकर चलते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिये कि आप टोटल पोस्ट्स में से 50 परसेन्ट पोस्ट्स 'इन्टर-कास्ट मैरिज' वालों के लिये रिजर्व कर दीजिये, फिर उसका परिणाम देखिये। यह जाति व्यवस्था टूटनी शुरू हो जायगी। आप बी. ए. क्वालिफिकेशन मांगते हैं आप बी.ए. क्वालिफिकेशन रखिये, दूसरी सभी चीजें रखिये, लेकिन कह दीजिये कि प्राथमिकता उसको देंगे जो इन्टर कास्ट मैरिज करके आयेगा—यह जाति व्यवस्था टूटने लग जायगी। लेकिन हमारी नीयत साफ नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जाति व्यवस्था मजबूत होती जाय। नतीजा क्या है—आजादी के बाद, गुजरात में जिस ढंग का आन्दोलन हुआ, वैसा कभी नहीं सुना था। गुजरात में जो वाक्यात हुए और जिस ढंग से हुए—वे इसके उदाहरण हैं।

डागा साहब, आपके मध्य प्रदेश में**

उनको वहां संविधान की रक्षा के लिये भेजा गया था, लेकिन उन्होंने खुद संविधान के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया—संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, वह गलत है। मैं नहीं समझता हूं कि यह सिर्फ**की बोली है, इसके पीछे दूसरों की बोली भी हो सकती है।**

– उनका भी यही हाल है। एक महानुभाव—आई. आई. टी. के डायरेक्टर हैं—**। वह कहता है· · ·

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : भगवत दयाल शर्मा को तो आपने मुकर्रिर किया था।

**Not recorded.

श्री रामविलास पासवान : जिस समय हमने मुर्कारर किया था, उस समय उसकी इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज आपके मुख्यमंत्री की भी हिम्मत होती है और गवर्नर की भी हिम्मत होती है। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं—आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़िया को क्यों हटा दिया गया ?

(व्यवधान)

ऐसे-ऐसे मुख्यमंत्री आपके यहां हैं जो कैलण्डर में टांगने लायक हैं। शीशे में लगाने लायक हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH : Shri Sanjivayya was the first Harijan Chief Minister. Are you not giving credit to us for that ?

श्री राम विलास पासवान : मैं इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बात को भी मानता हूं—कामराज नाडार सबसे अच्छे मुख्य मंत्री साबित हुए। कामराज नाडार जब आपकी पार्टी के प्रेसिडेन्ट हुए, चुनाव जीत गये, तो उनको प्रधान मंत्री बना दिया जाना चाहिये था, लेकिन नहीं बनाया गया। हिन्दुस्तान में इस पद की कुर्सी किसके पास जाती है, वह मुझे मालूम है।

(व्यवधान)

मैं यह कह रहा था कि जाति व्यवस्था आज भी कितनी जटिल है।

मैं जब भागलपुर जेल में था।

MR. CHAIRMAN : One minute. The time allotted to it first was two hours. Then it was extended by another two hours. Four hours are over now.

SEVERAL HON. MEMBERS : Another two hours should be given on it.

MR. CHAIRMAN : What is the consensus of the House ?

SEVERAL HON. MEMBERS : Two hours more, because there are so many Hon. Members who want to speak.

SHRI R.N. RAMESH : Sir, it is a question of 1/5th population of the country.

MR. CHAIRMAN : So, time is extended by another two hours.

श्री राम विलास पासवान : इस जाति व्यवस्था के तहत चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों और चाहे जनता पार्टी के लोग हों, मैं इसको पार्टी की बात नहीं बनाना चाहता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हू कि हिन्दुस्तान की जो जाति व्यवस्था है, उसने बहुत खराबी पैदा की है। ऐसी बात नहीं है कि हम अपोजीशन वाले लोग बहुत क्रांतिकारी हैं और आप जो ट्रेजरी बेंचेज पर हैं, आपके पास में दिल नहीं है। जो लोग इन समुदायों से आते हैं, उनके दिल में इन समुदायों के प्रति दर्द है और इसीलिये जब भी ऐसा मामला आता है, मंडल कमीशन का मामला आता है, तो दोनों पक्ष के लोग अपनी पार्टी के दायरे को तोड़कर उसका समर्थन करते हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा है, वह एक सीधा-सा सवाल है।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अभी मैंने सरकार से एक सवाल किया था और उस क्वेश्चन के मुताबिक चार साल के अन्दर 1980, 1981, 1982 और 1983 में 24,787 पोस्टें डि-रिजर्व की गई हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। 36 साल की आजादी के बाद 85 हजार पोस्टें डि-रिजर्व की गई हैं इन्क्लूडिंग क्लास 4 पोस्ट। आप कहते हैं कि क्लास 4 में

भी योग्य शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं और यदि यही मेंटीलिटी है, तो हमारे साथियों ने जैसा कहा और मैंने भी उस दिन कहा था कि अंग्रेज भी यही तर्क देते थे। हिन्दुस्तानियों के प्रति कि तुम क्लास 4 के लायक भी नहीं हो। इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है और यह पार्टी-पालीटिक्स का मामला नहीं है। इन्होंने एक सीधी-सी बात कही है कि एक पीनेल क्लाज लगा दीजिए। 25 हजार पोस्टें डि-रिजर्व की गईं और क्या आपने 25 अधिकारियों को भी सेंसर किया है, दंडित किया है। नहीं किया है और इसलिये उनमें कोई भय नहीं है और चाहे वे कांस्टीट्यूशन को गाली दे दें, कांस्टीट्यूशन को तोड़ दें और उसको मरोड़ दें। उम्मीदवारों के रहते हुये भी वे लिख देते हैं।

If a suitable candidate belonging to the Scheduled Castes is not available, the seat will be de-reserved.

इनको यह लिखने का अधिकार है और वे कांस्टीट्यूशन को तोड़ रहे हैं और कांस्टीट्यूशन को जलाने का काम कर रहे हैं और ब्लेम किस पर लगाते हैं। वे अपने पाप का भागीदार हमें बनाते हैं और कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड टाइब्स के उम्मीदवार योग्य नहीं हैं।

प्रधान मंत्री जी उस दिन यहां पर बैठी हुई थीं और मैंने एक छोटा-सा सवाल उस दिन किया था कि 36 साल के बाद भी आप यह नहीं कर सकी हैं कि सिर पर पाखाना उठाने का जो सिस्टम है, उसको खत्म किया जाये। यह भी अभी तक नहीं हो सका है।

श्री मूल चन्द डागा : हैडलोड कम कर दिया गया है। 80 परसेन्ट हैडलोड कम हो गया है।

SHRI RAM VILAS PASWAN : Why 80 percent prevails ?

SHRI SURAJ BHAN : There should not be even one percent.

श्री राम विलास पासवान : आजादी के 36 साल के बाद भी, जहां हम स्पेस में जा रहे हैं, अन्तरिक्ष में जा रहे हैं, वहां इतना तक नहीं कर सके हैं और हमारे अभागे नागरिक को आज भी यही करना पड़ रहा है। आज जाति के नाम पर वह पाखाना सिर पर उठाता है। मैं कहता हूं कि हायर कास्ट वालें को कहा जाए कि हम 5 हजार रुपया महीना देंगे और तुम पाखाना सिर पर उठाओ। मैं कहता हूं कि आप जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, बुद्ध और हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप जरा यह बताइये कि किसी धर्म का पुजारी अगर हड़ताल कर दे, मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का पुजारी हड़ताल कर दे—दो महीने के लिये और सिर पर पाखाना उठाने वाला 2 महीने हड़ताल कर दे, तो देश को किससे नुकसान होगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि डिगनिटी आफ लेबर आप रखिये। अब देश आजाद हो चुका है और अब ऐसी बात नहीं है और अब हमको मूर्ख बना कर ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकेगा। हमारे साथियों और हमारे मन में गुस्सा है और गुस्सा इसलिये है कि अभी तक वही व्यवस्था प्रीवेल कर रही है। मुल्क का जो नौजवान हमारे यहां पैदा हुआ है, वह देखता है कि आजादी के 36 साल के बाद भी हमको नहीं रखा जाता है जबकि हमारी ऊंचाई 5 फुट 8 इन्च है और हमारी छाती 36 इन्च की है।

हम बी.ए. पास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक सिपाही में भरती नहीं हो सकते। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। एक प्रश्न मैंने पूछा था। उसके जवाब में बताया गया है कि कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें रिजर्वेशन का कोटा पूरा हो गया हो। प्रश्न पूछा था 14

मार्च को उद्योग मंत्रालय से। क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र मे उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस धारी व्यक्तियों में कुल संख्या क्या है और शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के कितने लोग है। जवाब मिला कि 1761 संख्या है और उसमे शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का कोई विशेष नम्बर नहीं है। इसलिए कोई नम्बर नहीं रखा जाता है। कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्या आप खाली सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देकर जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी में तो ईमानदारी से काम करने पर मरने के बाद कफन के लिए पैसा भी नहीं होता। यह सिर्फ इसलिए किया जाता है कि समाज में इनके लिए सम्मान पैदा किया जाये। शिक्षा मंत्रालय से पूछा तो जवाब मिला कि 124 विश्वविद्यालय हैं। और इनमें एक भी कुलपति शेड्यूल कास्ट या ट्राइब का नहीं है। पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास है। मैं वेंकट सुब्बैया साहब से आग्रह करना चाहूंगा। ये 44 स्वयं सेवा संस्थाएं हैं जिनको शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के नाम पर पैसा दिया जाता है। यह एक हरिजन सेवक संघ है, और भी कई हैं। इसको एक-एक महीने में 22 लाख, 25 लाख रुपया दिया गया है। ये संस्था क्या काम कर रही हैं। इसके बजाए आप लोगों को एजूकेशन दीजिए, सर्विस में जो बैकलाग रह गया है, उसको पूरा कीजिए। एक और प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया था कि 1979 में जो मजदूर थे, अनुसूचित जाति, जनजाति के उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और किसानों की संख्या में कमी हुई है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में बार-बार चर्चा की जाती है। प्रत्येक सेशन में इस पर चर्चा होती है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो इस ओर कदम उठाये। उत्तर प्रदेश में देखिये कि कितना हंगामा चल रहा है। स्पीकर जो कि शेड्यूल्ड कास्ट का है उसको पुलिस अधिकारी, कलेक्टर ने बेइज्जत किया है कास्ट के नाम पर। एक एम. एल. ए. राजस्थान का बिहार के स्पीकर के पांव पकड़ता है कि हमारी रक्षा कीजिए। जाति के नाम पर हमको मारा जा रहा है। इसी सदन में चाहे इस पक्ष के चाहे उस पक्ष के, पुलिस ने जिन-जिन को बेइज्जत किया है वे हंडरेड परसेंट शेड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब के सदस्य हैं। ऐसा क्यों होता है। जाति व्यवस्था यहां पर क्यों घर कर रही है। यहां तो बचपन से बच्चा सुपरियरिटी कांप्लेक्स लेकर पैदा होता है या इन्फीरियरिटी कांप्लेक्स लेकर पैदा होता है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। डागाजी जो कहते हैं वह मामला लागू तब होगा जब आप कृपा करके सरकार पर दबाव डाल करके शेड्यूल्ड कास्ट का 25 परसेंट का कोटा जो है इसको आप पूरा करवा देंगे। अगर यह पूरा हो जाता है तो आप सीलिंग लगा दीजिये। जो सबसे गरीब है शेड्यूल्ड कास्ट में, उसको पहले मिले। अभी भी यह सीलिंग है। जो इनकम टेक्स देते हैं, उनके बच्चों की फीस माफ नहीं है।

सभापति महोदय, सरकार सिर्फ दो-तीन काम कर दे। आप रक्षा मंत्री से कहिए कि वे जाति के नाम पर रिजर्वेशन समाप्त कर दें। हिस्ट्री की अब कोई बात नहीं रही है। हम आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं। हम अपनी हिस्ट्री बनाने के लिए तैयार हैं। हम भी सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। किसी से कम नहीं हैं। तो या तो जाति के नाम पर रिजर्वेशन को खत्म कर दीजिये। यदि नहीं कर सकते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स, मायनारिटी और बैकवर्ड क्लासेस, सबके नाम पर रेजीमेंट बना दीजिये।

सभी में कम्पीटीशन होगा कि देश के प्रति कौन वफादार है ?

मंडल कमीशन की सिफारिशों को आप लागू कीजिये।

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : मंडल कमीशन में 3620 जातियां हैं, उनका क्या होगा ?

श्री राम विलास पासवान : उत्तर प्रदेश में जो बैकवर्ड क्लास में है, वह बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट में माना जाता है। इसी प्रकार जो बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट है, वह उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लास में माना जाता है। इसी तरह फिशरमैन और पासी, कहीं पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और कहीं पर बैकवर्ड क्लास में माने जाते हैं। इसलिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने दंड का विधान बनाया है। जो आफिसर रिजर्वेशन पालिसी को इम्पलीमेंट नहीं करेगा, उसको दंडित किया जायेगा। जो आफिसर जान-बूझकर रिजर्व्ड पोस्ट्स को डी-रिजर्व करते हैं, उनके लिये पेनल्टी क्लाज होना चाहिए। उनकी सी. आर. में भी लिखा जाए तथा ऐसे लोगों को जो भी सजा दी जाए, वह कम होगी। आज इस सदन में इस बात की घोषणा होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, सूरजभान जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 34 वर्ष से अधिक हो गये हैं। इस संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका कोटा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके पीछे जो कारण है, उस सम्बन्ध में मेरे साथियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन जातियों के आरक्षण के कोटे को कानून के द्वारा पूरा किया जाए, इसी सम्बन्ध में यह विधेयक पेश किया गया है। बड़े खेद का विषय है कि जितने परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। प्रथम श्रेणी की नौकरियों में चार या पांच परसेंट, द्वितीय श्रेणी में दस या ग्यारह परसेंट, तृतीय श्रेणी में 12 या 13 परसेंट कोटा भी पूरा नहीं हो पाया है। चतुर्थ श्रेणी में चाहे सफाई कर्मचारी, चौकीदार, सिपाही या दूसरे किस्म के सरकारी मुलाजिम हों, इन सेवाओं में रिजर्वेशन का कोटा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। देश में बहुत से भारत सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालय हैं। इसके अलावा पब्लिक अन्डर टेकिंग्स, डवलपमेंट अथारिटीज, बैंक्स, हायर सेकेण्डरी स्कूल्स व इण्टरमीडियेट कालेज हैं, जहां पर कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। इसके पीछे क्या कारण है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस सदन के माध्यम से इस देश की जनता को समझाया जाए कि इसके पीछे यह कारण है तो मैं समझता हूं, माननीय सदस्यगण जो आलोचना कर रहे हैं, वह नौबत नहीं आयेगी। जब तक जुल्म और ज्यादतियां इस समाज के लोगों पर बन्द नहीं होंगी, तब तक यह आलोचना होती रहेगी।

श्रीमन, जहां तक सरकारी नौकरियों का प्रश्न है, उनके बारे में तो मेरे साथियों ने यहां बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे सरकारी विभाग हैं, बहुत से ऐसे सरकारी संस्थान हैं, जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का कोटा नहीं के बराबर है। उदाहरण के लिये हाई कोर्ट्स को ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को ले लीजिए, राज्यपाल के पदों में, विदेशों में स्थित अम्बैसेडर या हाई कमिश्नर के पदों में इनका कोटा नगण्य है। आज आजादी मिलने के 37 सालों के बाद यह सोचना, मान्यता स्थापित कर लेना अथवा यह

तय कर लेना कि शायद शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों में समझदार आदमी नहीं हैं या उनमें स्यूटेबल कैन्डीडेटस नहीं मिलते, इस समाज के लोगों में कोई ज्यादा सभ्यता या तहजीब नहीं है जो इन पदों की आवश्यकता को पूरा कर सके, तो मैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब इस देश के संविधान को एक शेड्यूल्ड कास्ट से सम्बन्धित परम पूजनीय बाबा साहेब डा० अम्बेडकर बना सकते हैं तो दूसरे छोटे पदों के लिए मैं नहीं समझता कि क्यों नहीं उन्हें लिया जाता। यदि आप प्रयास सही रूप में करें तो उपयुक्त व्यक्ति अवश्य मिल जायेंगे। बल्कि वे तो हजारों की तादाद में मिल जायेंगे, क्योंकि आजकल तो इस समाज में हजारों लोग एम.ए., एल.एल.बी., पी.एच.डी., डी.एस.सी. और ग्रेजूएट हैं। इस तरह के लोगों की देश में कोई कमी नहीं है। यदि आप ढूंढें तो हजारों की संख्या में आपको मिल जाएंगे जो बड़े काबिल और क्वालिफिकेशन से युक्त होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब स्यूटेबल और अनस्यूटेबल का सवाल हमारे सामने आता है तो उसका एक कारण यह है कि इस समाज के लोग हजारों सालों से गुलामी का जीवन बसर करते आ रहे हैं। आजादी मिलने के बाद शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, उनके लिए शिक्षा के मन्दिर के दरवाजे खुले और आज स्थिति यह है कि ये लोग बड़ी अच्छी-अच्छी जगहों पर लगे हुए हैं। लेकिन जिस गति से उनका कोटा भरा जाना चाहिए था अभी तक नहीं भर पाया है। कितने अफसोस की बात है कि लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में एक भी ऐसी सीट नहीं है, जो इन लोगों से न भरी जाती हो, इनमें आप कहीं भी बैकलौग नहीं पायेंगे और इन जाति के लोगों के लिए जितने पद आरक्षित हैं सब भर जाते हैं। कैसी विडम्बना है कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं जैसी कानून बनाने की जगह पर शेड्यूल्ड कास्ट का आदमी बैठ सकता है, उसमें उसकी क्वालिफिकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि स्यूटेबल है या नहीं है, चाहे वह काना है, अन्धा है, लूला है, लंगड़ा है, कुबड़ा है, बुद्धिहीन है और वह एम. पी, एम. एल. ए. या मिनिस्टर आदि कुछ भी बन सकता है, परन्तु जज या राजदूत नहीं बन सकता। किस कारण वह हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता ? भले ही उसकी प्रैक्टिस 20 साल या उससे ऊपर हो गई हो, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन जज ही क्यों न रहा हो, परन्तु सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। न कभी अम्बैसैडर बन सकता है, न कभी हाई कमिश्नर बन सकता है। यह गुत्थी मेरी अकल से परे है और मैं आज तक नहीं समझ सका हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून बनाने वाली पोस्ट्स पर जब शेड्यूल्ड कास्ट्स का आदमी बैठ सकता है, तो अन्य नौकरियां तो उससे छोटी हैं, उनको भी इस समाज के लोगों से भरा जाना चाहिए। जहां तक स्यूटेबल और अनस्यूटेबल का प्रश्न है, मैं उसका दोष अपनी शिक्षा पद्धति को देता हूं। हमारी शिक्षा का स्तर एक समान नहीं है। हमारे यहां बड़े लोग, पैसे वाले लोग, चाहे वे किसी भी तरीके से पैसा पैदा करते हैं और बड़े आदमी बन जाते हैं, वे सब अपने बच्चों को बड़े-बड़े कन्वेंट स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, मिलिटरी स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा झोंपड़ियों में टिमटिमाते चिराग में पढ़ता है। भूखे पेट रहता है। उसे ठीक से खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, अच्छा वातावरण नहीं मिलता, ताकि वह उन्नति कर सके, तो वह कैसे उन बच्चों का मुकाबला कर पायेगा। मैं सरकार और अपनी माननीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी

को दाद देता हूं, पण्डित जवाहर लाल नेहरू और देश के दूसरे कर्णधारों को दाद देता हूं जिन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के उत्थान के बहुत काम किए। उनकी मन्शा अब भी यही है कि इस समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाए और उन्हें तरह-तरह की सहूलियतें दी जाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे देश में शिक्षा का स्तर एक समान कर दिया जाए तो स्यूटेबल कैन्डीडेट्स न मिलने की समस्या का सदा के लिए अन्त हो जाएगा। श्रीमन्, इस समाज के लोग सरकारी और दूसरी नौकरियों में इसलिए भी नहीं आ पाते हैं कि उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। हमारे देश में दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर इनके लिए कोचिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स तो खोल दिए गए हैं, मगर फिर भी कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स में शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग कम नम्बर पाते हैं। और जब इंटरव्यू के लिये जाते हैं तो नम्बर कम पाते हैं। इसलिये उनकी ट्रेनिंग और कोचिंग के लिये और इंस्टीट्यूशन्स की संख्या बढ़ायी जाय।

सरकारी नीतियां और हमारी पार्टी का मैनीफैस्टो अपनी जगह पर सही है, लेकिन गड़बड़ी अफसर करते हैं जिनकी तंग मनोवृत्ति है जो इन गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और जान-बूझकर रिजर्व जगहों को डीरिजर्व कर देते हैं। इसलिये ऐसे कानून बनायें कि जितनी भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की जगहें हैं उनको डीरिजर्व न किया जाय और अगर शेड्यूल्ड कास्ट न मिले तो शेड्यूल्ड ट्राइब का आदमी उसकी जगह रखा जाय और यदि वह भी न मिले तो बैकवर्ड क्लास का आदमी रखा जाय। लेकिन जगह को डीरिजर्व न किया जाय। यह ऐसी बाधायें नौकरशाह ही पैदा करते हैं। इस बिल की स्पिरिट सही है, मैं चाहता हूं कि काश वह दिन आये जब सरकार ऐसे बिल लेकर यहां आये जिससे सर्वहारा लोग लाभान्वित हों और जो उनका हक है वह उन्हें मिले।

*DR. V. KULANDAIVELU (Chidambaram): Mr. Chairman, Sir, at the very outset I have to pay my humble tribute to my Hon. Friend Shri Suraj Bhan who has brought this Bill under discussion for focussing the attention of the House that there has been apathy and unwillingness on the part of most of the Officers of the Government in implementing the constitutional provisions of reservation in posts and services for the upliftment of scheduled castes and scheduled tribes. The quota of Scheduled castes and scheduled tribes has not been realised in any of the Ministries, Departments, Public Undertakings etc. even after 37 years of Independence.

All of us owe a deep debt of gratitude to Dr. Ambedkar who paved the way for reserved constituencies so that the representatives of scheduled castes, scheduled tribes, backward classes, etc. can work effectively through the representative forums of the country. The illustrious social reformer of Tamil Nadu, Thanthai Periyar Ramaswami, whose entire life was dedicated to the cause of upliftment of the downtrodden, has also to be remembered now. Today if we are voicing the genuine grievances of the people belonging to scheduled castes and scheduled tribes on the floor of this House, it is entirely due to farsightedness of these two eminent harbingers.

The mover of this Bill, Shri Suraj Bhan and my Hon. Friend Shri Rakesh, supplemented their strong arguments with statistics to highlight that the reservation policy has not been implemented effectively during the three decades and more of constitutional government in our country. There is 18%

*Original speech was delivered in Tamil.

reservation for scheduled castes and 3% reservation for scheduled tribes But it is a matter of condemnation that in no office of the Government this percentage has been achieved so far. Even in the Ministry of Home Affairs, responsible for the welfare of these downtrodden people, in Class I posts the scheduled caste people representation is 3 83%, scheduled tribes 1.57% ; in Class II posts, the percentage of SC candidates is 6.51% and ST 1.32% ; in Class III the percentage is 11.76 for SC and 6.36% for ST. Under the excuse of qualified and experienced candidates not being available from SC and ST communities, this reservation of 18% for SC and 3% for ST has not been achieved in any of the Ministries or Departments. I have to make this allegation that though the Congress Party has been ruling the country for the past 30 years, excluding the brief interruption of Janata rule for 3 years, the Congress Party Government has been paying only lip sympathy to the constitutional safeguards that have been given to the scheduled castes and the scheduled tribes, The Central Government cannot absolve themselves from this blame. I had served for two terms on the Parliamentary Committee for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Chairmanship of Shri R.R. Bhole and A.C. Das. I know that this Committee, after undertaking strenuous on-the-spot studies and careful examination of a cross-section of society including the representatives of the Government, submits valuable reports for ensuring the economic and social upliftment of SC/ ST people. But the recommendations contained in the Reports of the Committee have not been the serious consideration they deserve. If only some of the recommendations had been implemented vigorously the situation would have been better now.

I have to refer to another anomaly. The Government of India have not appointed for quite some years now the constitutional authority of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Instead, the Government have appointed a Congress leader as Chairman of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which has neither constitutional sanction nor statutory authority. If this anachronism is allowed to perpetuate, then the constitutional safeguards given to these people cannot be effectively ensured by any authority. I want the Hon. Home Minister should look into this and act immediately to resolve this constitutional riddle.

My Hon. Friend, Shri Xavier Arakkal in his speech traced the social reform movement in the South and he mentioned about the role of Justice Party in 1919 which under the leadership of Thanthai Periyar launched in the then Madras Province peaceful struggle for social equality Later the Madras High Court reflected the wisdom of the times by upholding the fundamental rights of the free people. The Government's communal G.O. became the corner-stone in the history of the downtrodden people. Pandit Jawaharlal Nehru did not hesitate to say that he drew inspiration from this Government Order for ensuring constitutional safeguards for these downtrodden sections of our society. He applauded the role of Dravida Kazhagam, the spring-board of social reforms in Tamil Nadu. My leader Dr. Kalaignar Karunanidhi, the ardent advocate of social equality and the staunch follower of Periyar Thanthai Periyar Ramaswamy, during his term of office as the Chief Minister of Tamil Nadu started the golden era of social equality by ensuring the appointment of Thiru Varadarajan as the Chief Justice of Madras High Court the first Adi Dravida to adorn this highest judicial office in the State. This record is yet so be surpassed anywhere in the country. Dr. Kalaignar Karunanidhi's has dedicated his entire life at the alter of upliftment of downtrodden sections of our society The late Shri Devaraj Urs is another illustrious leader, whose commitment to the cause of the weaker sections of our society is beyond reproach, As the Chief Minister of Karnataka, he worked ceaselessly for the all-round development of scheduled castes, scheduled tribes and backward classes in his State.

17.28 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*]

We are hearing about the 20-point programme and its effective implementation for the welfare and economic advancement of those in the lowest rung of our society. But,

those in authority, who frequently refer to the economic yardstrick for extending constitutional concessions to the weaker sections of our society, rather than the social in equality, have successfully thwarted the efforts to implement the recommendations of Mandal Commission. Thus, the basic fundamental rights of scheduled castes, scheduled tribes and backward classes including minority community who constitute 80% of the population of our country, are being denied to them. The Government will have to face dire consequences if the Mandal Commission recommendations are not implemented forthwith forcefully. The Government cannot treat for ever 80% of the population as dumb-driven cattle.

With these words I conclude my speech.

SHRI A.R. MALLU (Nagarkurnool) : Many of our friends have taken part in the discussion and suggested various measures to protect the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the country. I am highly thankful to Mr. Venkatasubbiah, the Minister of State for Home Affairs who is so kind to appoint a Working Group in the year 1980 to go into the working conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to discuss the various problems confronting the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and suggest various measures particularly in regard to recruitment and promotions. I am highly thankful to him for taking so much pains and appointing a Working Group.

Mr. Suraj Bhan has also given the suggestions made by the Group appointed by the Hon Minister. The Working Group has suggested to have an Act to implement the reservations strictly and upto the expectations and as per the constitutional provisions. It is not only the Working Group but also a committee headed by Mr. Elayaperumal which has recommended to have an Act regarding the implementation of these reservations. It is not out of place to mention here that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission which has been appointed by our Government has also suggested to have an Act particularly in the case of implementation of the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has also suggested the same thing. As such I do not think the Government will go back on the recommendations of the two Commissions and Committees which were appointed by the Government and I am sure the Hon. Minister will be too kind and he is very much dedicated and devoted to the cause of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the leadership of our beloved Prime Minister Indira Gandhi will certainly come to the rescue of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been given preference in the Constitution.

In recent days we are hearing a number of comments from various sections about reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I do not like to mention anybody's name. But people are coming forward and are making statements against reservations. Even some VIPs also are making such statements. I would like to bring to the notice of this august House that one such person is the Hon. Chief Minister of Andhra Pradesh who is claimed to be a representative of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and who has promised that he will do a lot for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I would like to bring to the notice of this august House that the Home Ministry directions have been completely ignored in Andhra Pradesh. The Ministry of Home Affairs has directed in the year 1982 all the State Governments to post Scheduled Castes and Scheduled Tribes officers in sensitive places. There used to be 5 to 6 District Collectors and 4 to 5 Superintendents of Police in Andhra Pradesh belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Unfortunately the Andhra Pradesh Government has recently withdrawn all the officers of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. That is the reason why we are asking to have an Act so that the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes can be protected.

If the directives given by the Ministry of Home Affairs are not implemented then who is to look after. Something should be there to act upon otherwise we cannot protect the interests of scheduled castes and scheduled tribes.

Madam, recently a picture has come in Andhra Pradesh "EE CHADUVULU MAKODDUU" which means 'We do not want this education'. It advocates for the abolition of reservation and exploits the sentiments of other classes against the scheduled castes and for which a message has been given by the Chief Minister that this is a worth seeing picture. His Cabinet colleague, Shri Hari Ram Jogayya, the Minister for Information made a statement in the Assembly that there are objectionable portions in the picture and the producers have come forward voluntarily to delete those portions of the film.

SHRI SURAJ BHAN : How has the censors given the clearance ?

SHRI A.R. MALLU : So, these things are happening. Even persons occupying highest positions like the Chief Ministership are making statements against reservation. Therefore, I also feel that there should be an Act to punish such of the persons.

Madam I do not like to go into the statements of the others who are making these statements. They are saying efficiency is going down because of reservation. I would like to say take the technical profession of doctors, the reservations are given to the boys to enter MBBS course. The reservations are only confined to the extent of admission and the reservations are not meant for qualifying the test, I dare say there are cases of scheduled castes boys who could not qualify for decades together because they were not competent enough to pass the examination but they are coming out of the exam after qualifying. So, the question of inefficiency does not arise at all. Prof. Rangaji suggested that inefficiency is because of the fact that for hundreds of years they have suffered. So, you can have inner competition among scheduled castes. There are thousands of post-graduate scheduled castes in the country. But, unfortunately comments are coming up.

I would like to remind the House that reservations are made not merely on account of economic backwardness but on account of untouchability and social backwardness. There are villages even today where scheduled caste boys cannot open a hotel in the village because nobody will come forward to take a cup of tea. Reservations are not based one thnic backwardness but it is because of social backwardness and so we should understand these so-called people who are making statements against reservation. They should try to understand these things. That is the reason why the Prime Minister is taking keen interest. It is her desire to maintain equality, to remove social injustice, to remove social imbalances and to remove poverty but, unfortunately, some of the persons are making statements and trying to advocate for the abolition of reservation. This is quite unfair. I only want to appeal to all the political parties in the country to seriously think of the reservation problem.

Madam, I being representative of a reserved constituency would like to say clearly that we are not going to look at the reservation for ever. A day will come definitely when we can stand on our own legs. You look at the percentage of scheduled castes students in 1947 and now. There is progress but as long as this social evil continues to be there in the country and as long as political parties do not come forward to equate the scheduled castes with other sections reservations will have to continue and definitely the Constitution would have to prevail upon the bosses who are trying to exploit the scheduled castes.

I have no doubt that under the able and dynamic leadership of Shri Venkatasubbaiah as Home Minister necessary things will be done. He is a committed person in Andhra Pradesh. He himself has organised a number of schools for scheduled castes and scheduled tribes. He himself brought up number of scheduled caste boys. He will certainly appreciate the views expressed by this House. Certainly he will come out with a comprehensive Bill in this House to protect the interests of the scheduled castes and scheduled tribes.

I am not taking much of your time. I am mentioning only points.

Regarding the recruitment of IAS boys I am proud to say that there are good

number of boys who have come in the merit list in IAS. They have competed with other sections of society. But unfortunately the boys who got the merit position, who stood more than the expectation, are also considered under the reservation. This should be considered by the Home Minister. Government should see that these boys come under the general quota.

Coming to the banking sector my friend said about the nationalised banks. In certain banks it is not even one percent. It is due to lack of enthusiasm and interest on the part of some of the officers working in these banks who are said to be educated and enlightened and who are supposed to set an example to others. I don't think this situation will continue for ever. Certainly the Home Minister will have to take action against these people and if necessary try to stop whatever concessions that are being given to these banking institutions.

It is a good suggestion to appoint Liaison Officer in every institution. It may be Govt. of India undertaking or State Government or others. But some autonomous powers should be there. Otherwise, when a Liaison Officer who is appointed has to work under the control of the Under Secretary or the Deputy Secretary, he cannot express his views.

The post of the Commissioner for scheduled castes and scheduled tribes is there under the constitution. That is an autonomous body. But unfortunately that post has not been filled so far. I request the Home Minister to look particularly into this aspect. Only with a view to protect the interest of the scheduled castes and scheduled tribes this post of the Commissioner of scheduled Castes and Scheduled Tribes was created with constitutional provision for it; the post comes under the purview of the President of India. The President appoints the Commissioner. This post happens to be vacant for some time. Last time while replying to the debate Hon. Minister Sethi ji was kind enough to assure the House that he is going to appoint one man to take up the job. I hope the Hon. Minister will take necessary steps to see that the Commissioner joins at the earliest to look after the grievances of the scheduled castes and scheduled tribes.

Coming to the appointing authorities I am sorry to say that there are many who are not implementing the reservation policy. Of course Mr. Suraj Bhan has suggested several measures in his Bill. But at the same time the Ministry of Home Affairs has also given number of guidelines to not only the Ministries of Government of India but also to all the State Governments and Public undertakings. They were asked to maintain the rosters; they were asked to maintain the periodicals. They were asked to submit the periodicals quarterly to the State Government; the departments were asked to submit the periodicals to the Central Government as the case may be. But in spite of the repeated instructions issued by the Government of India — particularly the Home Ministry — certain departments are not coming up to expectations. They are not abiding by the instructions thereby ignoring the interest of scheduled castes and scheduled tribes.

I wholeheartedly welcome the measures taken by the Home Ministry. At the same time I request the Minister to entrust the job of reviewing to the Monitoring Cell. Already there is this Monitoring cell in the Ministry of Home Affairs. Let this monitoring cell also review the appointments and also in-service matters and also promotion prospects of scheduled castes and scheduled tribes.

Now I would like to mention a few words about Andhra Pradesh Government. You go and check the position in the districts. It is completely nil. If you come to the Secretariat, if you see the position in the category of Deputy Secretary, Joint Secretary, Under Secretary, Section Officer, etc. you will see that they only apply the reservation recruitment policy at the initial stage. This reservation is there only at initial stage. Not afterwards. But, instructions are clear from Home Ministry. These reservations shall have to be implemented in all categories right from LDC, UDC, SO, Under Secretary, Deputy Secretary, Joint Secretary and even up to the post of Secretary. But this is not being done, not only in Andhra Pradesh but even

in some other the States and even in some of the Ministries of the Government of India.

The other day, the Hon. Minister was giving an assurance in reply to a question put by an Hon. Member of this House in regard to the special tests for the posts of Stenographers which have been conducted for those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes I was very happy to hear him. He has taken a lot of initiative to conduct special tests for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to fill up the vacancies meant for them. I am glad that the Hon. Prime Minister has given directions in this regard. I would therefore request the Hon. Minister for Home Affairs kindly to entrust the job to the monitoring cell so that they can review this problem from time to time.

Sir, there are certain officers who are committed to this job. At the same time, I do not believe that Scheduled Caste men alone can safeguard the interests of the Scheduled Caste people. There are several other people who had done a lot for the cause of these people. For example, Dr. Ambedkar rose to the exalted position not because he belonged to Scheduled Caste but because of the help and guidance he got from a Maharaja who had helped him for his education. Likewise, Gandhiji had taken a lot of pains in protecting the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There are many others, like Rangaji, in my State and I can mention many names who are veterans who had worked for the cause of these people. So, it is not only the responsibility of the elected representatives belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe, but it is also the responsibility of one and all to come forward and work for the cause of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Now, coming to the question of promotions and recruitment, I would like to point that no doubt reservations are being implemented at the initial recruitment stage. But when the question of promotions comes, there are Confidential Reports which have to be taken into account. I also know about this because I have myself served in Government and led Govt. employees for some time But, unfortunately, there are a number of cases where you will find that the Confidential Reports of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not seem to be quite good. You all know the reasons to some extent. I do not say that the Confidential Reports of all these people are very good. But one thing I would like to point out, that is, there should be an impartial committee which has nothing to do with the concerned Department who should be entrusted with the selection responsibility. This would definitely go a long way in these people getting fair play in the matter of promotions.

Sir, there are vacancies in different departments, reserved for these people. There are several advertisements to fill up these vacancies. But for want of qualified and eligible candidates these vacancies could not be filled up. I would therefore suggest that for filling up these vacancies the Government should notify these vacancies to all the Vice-Chancellors of the Universities all over the country who in turn forward them to various college authorities. At the same time, in the local newspapers also, these posts should be advertised. I do not think there is a dearth of candidates from these communities. Under the dynamic leadership and able guidance of our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, there is an awakening in the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people.

Sir, there is no doubt that thousands of hostels have been opened all over the country. Good number of boys have come from these hostels. If proper and sufficient training is given to these boys, I have no doubt why these boys cannot come up and even compete with the general candidates. So, I do not believe if they say that there are no candidates available I dare say that there are candidates available. I dare say there are eligible candidates who are available for various posts in the Government Departments and other public sector undertakings. Sir, it is most gratifying to note that you have opened training centres for these boys. Mr. Suraj Bhan has suggested in his Bill for special training centres for these people. There is already a provision in the Ministry of Home Affairs to train these people, to give them coaching for IAS

course, to give them coaching for various categories of posts in the Government of India and other Departments and the public sector undertakings. But at the same time I am sorry to say that these training centres are not working up to the expectations. I would therefore request the Hon. Minister kindly to come forward with iron hand to curb and punish the erring officials and take suitable action against them for ignoring the Government directives issued from time to time. I am happy that Mr. Suraj Bhan has brought forward a Bill but at the same time I am equally hopeful that the Hon. Minister will take all necessary steps to protect the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also come up with a comprehensive Bill soon so that in future people belonging to Scheduled Caste and Scheduled Tribe of this country can look forward to a bright future under the able guidance of the Hon. Minister.

*SHRI AJIT BAG (Serampore) : Mr. Chairman, I rise to support this Bill brought forth by Shri Suraj Bhan. But it is a matter of regret that even after 37 years of independence we have to debate on such a Bill in this august House. I heard the speeches of many members of the ruling party and they also narrated the atrocities committed on the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and various other indignities heaped on them over the question of reservation in services. They also mentioned about the practice of untouchability. This is a matter of regret that even after 37 years of independence this problem is persisting and we have to bring forward this type of Bill and to agitate for reservation in services for the SC and ST people on account of a total lack of political will on the part of the ruling party and the Government.

Medam, in this context I will like to point out that none of the members from the ruling party who spoke on this Bill has opposed it. They have also nothing to say against the objects and reasons which has compelled Hon. Shri Suraj Bhan to bring forth this Bill. But while deliberating on this Bill, they have also hinted at the doubt that this Bill will not be accepted because it has been brought forth by a member of the opposition. Even then, they have requested their Minister to bring forward a similar Bill on his own and to give effect to the measures suggested by Shri Suraj Bhan in the present Bill in the matter of reservation in the services for the SC and ST people.

Later in my speech, I will suggest some measures to solve this problem. Today the ruling party has brought the country to such a pass wherein the whole country is shattered and stands divided on various issues of caste, creed, community and religion. The weak people of scheduled castes and scheduled tribes are being exploited and deprived of their legitimate rights. In this situation we support this Bill for reservation in services for the SC/ST people and also the measures enumerated by the mover of this Bill for implementing them and to give them practical shape.

In the matter of reservation I am happy to state that after the Left Front Government came to power in West Bengal, they have implemented a legislation within their limited powers through which they have prohibited the dereservation of reserved posts on the false plea that 'suitable candidates were not available' etc. The West Bengal Government has prescribed that regular rosters shall have to be maintained in this respect and appointments must be made against the reserved posts according to those rosters. If suitable candidates are not found available, the time limit shall be extended and the vacancies added up year after year, This type of legislation has been made in West Bengal. Such measure has not been adopted in many other States as was said by many Hon. Members of the ruling party who referred to the situation prevailing in their respective States. No such legislation has been made in many States of the country.

Many things have been said here about matters of promotion. About promotions Madam I have to submit one thing that

*Original speech was delivered in Bengali.

feelings of disaffection and jealousy does naturally arise when a senior employee in unreserved post becomes due for promotion on the basis of his seniority but another person from the reserved quota supersedes him and is given promotion. This situation arises because a huge backlog has been created in matters of appointment in services against reserved posts. Till that backlog is cleared, such problems will keep on arising. Therefore we demand from the Government that this backlog must be cleared expeditiously and new posts must be created to fulfil the reserved quota of promotions. This is my amendment and recommendations and I hope that my friend Shri Suraj Bhan will accept the same. One of my friends here said a little while ago that over the last four years 25,000 reserved posts have been dereserved. This is how a fraud is being played and the SC/ST people are being deprived. Even if we are able to stop this process, how many of the millions of unemployed SC & ST people can be provided with jobs ? The reason is that among the SC/ST people those who get the minimum education adequate enough even for Class IV posts, are very small in number Even if some are found among the scheduled castes, practically none is available among the scheduled tribes. The reason being that the scheduled tribes people mostly live in forest areas and the interior backward areas where facilities for their education is practically non-existent. Therefore, a large number of those people do not come for such jobs. Then in the rural areas we find that all those people who comprise the weakest sections like share-croppers, landless agricultural labourers etc., who are not educated and cannot move to the cities and complete for their jobs are mostly scheduled castes and scheduled tribes people and they are the largest in number. Ours is an agricultural country where most of the people are dependent on land for their living. The poorest among them like agricultural labourers, share-croppers etc. are mostly SC/ST people. Now we must try to improve their economic conditions. If they are given ownership of land and a good share in the agricultural produce raised by them, then only their economic and social status will improve and they will be able to provide education to their children. The economic upliftment of these poor people is of the utmost importance and top priority must be given to this aspect. Then only it will be possible to take them on the road to progress. Thus we see that the basic problem is related to the question of land reforms. Unless the poor agricultural labourers and sharecroppers are given ownership of land and the right to enjoy the agricultural produce raised by them, their condition will not improve and they will not be able to educate themselves and their children and will not be able to compete for the jobs in services. Therefore, I say that the root problem is related to radical land reforms and economic upliftment of the SC/ST people who are mostly to be found among the landless agricultural labourers and share-croppers. Unless these people are given ownership of land and right to the produce, their economic status cannot improve and they cannot get adequate education to compete for the jobs.

MR. CHAIRMAN : Mr. Bag, you can continue on the next occasion. Now we have to take up the discussion under rule 193.

---

18 00 hrs.

DISCUSSION ON REPORTED ECONOMIC CRISIS IN LANGUAGE, NEWS AGENCIES LEADING TO STRIKE AND LOCKOUT IN "SAMACHAR BHARATI" AND STRIKE NOTICE BY THE WORKERS OF "HINDUSTAN SAMACHAR"

MR. CHAIRMAN : Now, discussion under rule 193. Shri Mohd. Asrar Ahmad.

SHRI MOHAMMAD ASRAR AHMAD (Budaun) : Sir, I rise to raise a discussion on the reported economic crisis in the language news agencies leading to strike and lockout in "Samachar Bharati" and strike notice by the workers of "Hindustan Samachar" and the action taken by the Government in the matter.

इस सम्बन्ध में जितनी गन्दगी है, उसको छोड़ते हुए, मुख्य-मुख्य बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस समय हमारे पास चार एजेन्सियां हैं—हिन्दी की